दिनाँक: 03-11-2024    प्रेस नोट

**> दिनाँक 30/31.10.2024 को कस्बा बिनावर में किन्नर सुनीता की हत्या कर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये बिनावर पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तगण को लूटे हुए माल व आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया गया।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ श्री अमित किशोर श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक बिनावर व एस0ओ0जी टीम द्वारा आज दिनाँक 03.11.2024 को थाना बिनावर क्षेत्रान्तर्गत सुनीता किन्नर की हत्या कर लूट की घटना का अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तगण को लूटे हुए माल व आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बिनावर पर मु0अ0सं0 352/24 धारा 103(1)/309(6)/61(2)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 31.10.2024 को कस्बा बिनावर में रह रही सुनीता किन्नर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया जिस सम्बन्ध में थाना बिनावर पर मु0अ0सं0 352/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम वाइस्तवा अभियुक्त 1. संजना किन्नर निवासी गोरामई थाना कादरचौक जिला बदायूँ 2. रीना किन्नर निवासी कबूल पुरा गौटिया थाना कोतवाली बदायूँ पंजीकृत हुआ। जिसके सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ द्वारा एसओजी टीम व थाना बिनावर पुलिस टीम को निर्देशित किया गया इसी क्रम में उक्त टीमो द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियोग में धारा 309(6)/61(2)/317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुऐ नामित वाइस्तवा अभियुक्त 1.रीना किन्नर निवासी कबूल पुरा गौटिया थाना कोतवाली बदायूँ व प्रकाश में आये अभियुक्त गण 2.आदिल पुत्र नवी अहमद निवासी नई सराय बर्फ खाने बाली गली थाना सिविल लाईन जिला बदायूँ 3.अरवाज पुत्र इशरत खान निवासी नई सराय नई बस्ती निकट नूर मियाँ अस्पताल थाना कोतवाली जिला बदायूँ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी हुई सम्पत्ति जिसमें कान के 13 छोटे रिंग व एक टूटे रिंग के दो भाग व एक कान का छोटा झाला पीली धातू व तीन अगूंठी दो लैडीज व एक जेन्टस पीली धातू व एक गला का हार जिसमें लाल हरे मोती की माला में पाँच छोटे लाकिट पीली धातू व हाथों की चार चूडियाँ पीली धातू व गले की एक माला जिसमें काले मोती व पीली धातु से जुडे है व दो पाजेव सफेद धातु व दो जौडी पैरो के बडे बिछुये सफेद धातु एंव 60 हजार रूपये नगद व मृतका सुनीता किन्नर व वाइस्तवा अभियुक्त रीना किन्नर उर्फ साजिद के मोबाइल व घटनास्थल से आला कत्ल फावडा लोहा व लडकी का बैटा खून के धब्बे लगा बरामद किये गये।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण
अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि संजना किन्नर लगभग 05 वर्ष व रीना किन्नर उर्फ शाजिद लगभग 01 वर्ष से अपने गुरू सुनीता किन्नर के साथ उसी के मकान कस्बा बिनावर में रहते थे। बदायूँ के रहने वाले आदिल व अरबाज की रीना किन्नर से दोस्ती हो गयी थी। इसलिये यह लोग रीना किन्नर के पास कस्बा बिनावर इनके गुरू सुनीता किन्नर के मकान पर भी आते जाते थे। रीना किन्नर में शराब पीने व अनैतिक कार्य करने की आदत थी। यह बात इनके गुरू सुनीता किन्नर को अच्छी नही लगती थी। जिसे लेकर कई बार आदिल व अरबाज के सामने ही रीना किन्नर व गुरू सुनीता किन्नर में आपस में कहा सुनी भी हुई थी जिस कारण रीना किन्नर को कई बार अपने घर से निकाल दिया था। आज से करीब आठ -दस दिन पूर्व भी आदिल व अरबाज रीना किन्नर उर्फ साजिद के पास सुनीता किन्नर के मकान पर आये थे तब रीना किन्नर ने बताया था कि मेरी गुरू सुनीता किन्नर के पास बहुत जेवर, माल व पैसा है। हम लोग इनके इलाके मे बधायी बजाकर एंव बाजार मांगकर दिन रात मेहनत करके पैसा कमाकर इसको लाकर देते है लेकिन यह मुझे व मेरी साथी संजना किन्नर को केवल 500-600 रूपये की हिस्सेदारी ही देती है बाकी सारा पैसा व माल सुनीता किन्नर अपने पास रख लेती है। इसी बीच रीना किन्नर उर्फ शाजिद ने आदिल व अरबाज से षडयंत्र रचा कि जिस दिन मै आपको बुलाऊ आप लोग आ जाना और मुझे बचाते हुए गुरू (दादी) का खेल खत्म कर देना। दिनांक 30.10.2024 को रीना किन्नर ने आदिल व अरबाज को फोन से बताया की आज मेरी साथी गुरू संजना किन्नर अपने भाई की दवाई लेने अमरोहा जा रही है मैं और मेरी गुरू (दादी) घर पर है आप आ जाओ रीना किन्नर के बुलाने पर ये दोनो बदायूँ से बिनावर आ गये और रीना किन्नर के साथ बैठकर आदिल व अरबाज ने शराब पी और रीना किन्नर को अधिक शराब पिलाकर उसे नसे मे कर दिया। वह अपने कमरे मे तखत पर नशे मे लेट गयी तभी इन दोनो ने

उसकी गुरू (दादी) सुनीता किन्नर के कमरे में जाकर उसकी फावडे की मूंद मार कर हत्या कर उसे तख्त से घसीट कर फर्श पर पटक दिया। और उसके पास व कमरे मे रखे बक्से मे से जेवर व 83,000 रूपये व मृतका सुनीता किन्नर का मोबाइल व अभि0 रीना किन्नर का मोबाइल सूचना न दे दे, के डर से लूट कर ले गये थे।

गिरफ्तारी के स्थान
बरेली बदायूँ मार्ग मलगाव फाटक से लगभग 100 मीटर आगे थाना बिनावर बदायूँ दिनाँक 02.11.2024

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम पता
1. आदिल पुत्र नवी अहमद निवासी नई सराय बर्फ खाने बाली गली थाना सिविल लाईन जिला बदायूँ
2. अरवाज पुत्र इशरत खान निवासी नई सराय नई बस्ती निकट नूर मियाँ अस्पताल थाना कोतवाली जिला बदायूँ
3. रीना किन्नर निवासी कबूल पुरा गौटिया थाना कोतवाली बदायूँ

बरामदगी का विवरण
1. कान के 13 छोटे रिंग व एक टूटे रिंग के दो भाग व एक कान का छोटा झाला पीली धातू
2. तीन अगूंठी दो लैडीज व एक जेन्टस पीली धातू
3. एक गला का हार जिसमें लाल हरे मोती की माला में पाँच छोटे लाकिट पीली धातू
4. हाथों की चार चूडियाँ पीली धातू व गले की एक माला जिसमें काले मोती व पीली धातु से जुडी है
5. दो पाजेव सफेद धातु
6. दो जौडी पैरो के बडे बिछुवे सफेद धातु
7. 60 हजार रूपये नगद
8. मृतका सुनीता किन्नर व अभियुक्त रीना किन्नर उर्फ साजिद के दो मोबाइल
9. आला कत्ल से संबंधित एक अदद फावड़ा लोहा व लडकी का बैटा खून के धब्बे लगा

गिरफ्तारी एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम।
1. प्रभारी निरीक्षक बिनावर श्री अशोक कुमार काम्बोज
2. श्री नीरज कुमार, प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस
3. श्री गौरव कुमार, प्रभारी निर0 एस0ओ0जी
4. अपराध निरीक्षक श्री संहसरवीर सिह
5. उ0नि0 श्री धर्वेन्द्र सिंह, एस.ओ.जी
6. उ0नि0 प्रदीप कुमार , थाना बिनावर
7. उ0नि0 गौरव कुमार, थाना बिनावर
6. हे0कां0 सचिन कुमार, एस.ओ.जी
7. कां0 अरविन्द कसाना,एस.ओ.जी
8. हे0का0 108 योगेश कुमार, थाना बिनावर
9. का0 114 मोहित कुमार, थाना बिनावर

मीडिया सैल
बदायूँ